कार्यालयः बरेली विकास प्राधिकरण

विकास ज्योति, प्रियदर्शिनीनगर, पीलीभीत रोड, बरेली।

कब्जा प्रमाण पत्र

सम्पुत्ति अधिकारी के पत्रांक 7851 दिनांक 22.12.2017 के अनुसार रामगंगानगर नगर योजना सेक्टर-3 में स्थित श्रेणी व्यवसायिक के अन्तर्गत भूखण्ड/भवन/दुकान संख्या 01 क्षेत्रफल 1106.10 वर्ग मीटर का कब्जा दिनांक 22.12.2017 को आवंटी श्री/श्रीमती मैसर्स प्रो० डा० श्री गिरिजा शंकर को दिया गया।

भवन/भूखण्ड/दुकान को म0पे0

उत्तर 12.00M+ WIDE ROAD मी० 30.00M+

दक्षिण COM. FUTURE PLANING मी० 30.00 M+

पूर्वा 24.00M+ WIDE ROAD मी० 36.87 M+

पश्चिम 9.00 M+ WID ROAD मी० 36.87 M+

भूखण्ड का कब्जा दिया गया

भूखण्ड/भवन/दुकान का कब्जा प्राप्त किया

हस्ताक्षर

नाम सुनील कुमार

अवर अभियन्ता

बरेली विकास प्राधिकरण

(हस्ताक्षर आवन्टी)

नाम प्रो. डा. श्री गिरिजा शंकर शुक्ल

नाम S/o श्री रामनारायण शुक्ल

कुलाधिकारी राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय फाफामऊ, इलाहाबाद

प्रतिहस्ताक्षरत

22/12/17

सहायक अभियन्ता

बरेली विकास प्राधिकरण

प्रतितिगिपिः

१. सम्पत्ति अधिकारी की पत्रांका 7851 दिनांक 22.12.17 के क्रय में सूचनार्थ।

२. गार्ड फाइल अभियन्त्रण खण्ड।

अधिशासी अभियन्ता

बरेली विकास प्राधिकरण

आवेदन विवरण

आवेदन संख्या: 201700787012902

लेखपत्र का प्रकार: विक्रय पत्र

प्रस्तुतकर्ता का विवरण

नाम (हिन्दी में)	:	प्रो० डॉ० गिरिजा शंकर शुक्ल	नाम (अंग्रेजी में)	:	PRO DR GIRIJA SHANKAR SHUKL
ई - मेल	:		मोबाइल	:	7525048001

सम्पत्ति क्रम संख्या--1

सम्पत्ति की स्थिति का विवरण

जनपद	:	बरेली	तहसील	:	बरेली
वार्ड/परगना	:	बरेली विकास प्राधिकरण	मोहल्ला/गाँव	:	रामगंगा आवासीय योजना
सम्पत्ति का विवरण	:	भूखण्ड सं० 1 अम्बर खण्ड सेक्टर 3			
सम्पत्ति प्राप्ति का श्रोत	:	प्राधिकरण/परिषद्/अन्य/विरासत		:	

सम्पत्ति का प्रकार

सम्पत्ति का प्रकार	:	व्यवसायिक	भूमि की इकाई	:	वर्ग मीटर
निर्माण की स्थिति	:	अनिर्मित	क्षेत्रफल	:	1106.1
सेगमेंट प्रकार	:	एकल वाणिजियक सम्पत्ति भूमि की दर.			

अन्य निर्देश का विवरण

क्रंम संख्या	अन्य निर्देश का विवरण
1	अकृषक सम्पत्ति के सामने,पीछे,अगल या बगल में पार्क होने पर या चौहददी में व्यवसायिक गतिविधियां होने या एक से अधिक मार्ग होने पर

सम्पत्ति मूल्यांकन विवरण

प्रतिफल	:	17401874	बाजारी मूल्य	:	14601000
कुल देय निबन्धन शुल्क	:	20000	कुल देय स्टांम्प शुल्क	:	1218131
वास्तविक बाजारी मूल्य	:	17401874	वास्तविक स्टाम्प शुल्क	:	1218200

सम्पत्ति की चौहद्दी

पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण	खसरा संख्या	प्लॉट संख्या /भवन संख्या/दुकान संख्या	संलग्न नक्शा
व्यवसायिक भूखण्ड	१२ मी० रोड	२४ मी० रोड	९ मी० रोड	.	1	

समस्त संपत्तियो से प्राप्त शुल्क का विवरण

बाजारी मूल्य:	14601000	कुल देय निबन्धन शुल्क:	20000
कुल देय स्टांम्प शुल्क:	1218200	वास्तविक स्टाम्प शुल्क:	1218200
वास्तविक बाजारी मूल्य :	14601000		

हिस्साकसी विवरण (शेयर होल्डर)

क्र० सं०	महिला	अंश	मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क

पक्षकार का विवरण

क्रंम संख्या	पक्षकार प्रकार	पक्ष का नाम	माता/पिता/पति/ अन्य का नाम	निवास स्थान का पता	व्यवसाय	प्रस्तुतकर्ता	छायाचित्र
1	विक्रेता	श्री अनुसचिव बरेली विकास प्राधिकरण के द्वारा श्री देवेन्द्र सिह यादव	पुत्र श्री राममूर्ति सिंह यादव	बी०डी०ए०बरेली	नौकरी	अधिकृत पदाधिकारी/	

						प्रतिनिधि	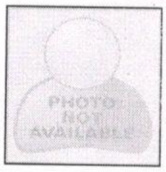
2	क्रेता	श्री प्रो० डॉ० गिरिजा शंकर शुक्ल कुलसचिव	पुत्र श्री राम नारायण शुक्ल	उ०प्र०राजर्षि टन्डन मुक्त विश्वविद्यालय फाफामऊ इलाहाबाद	नौकरी	स्वयं	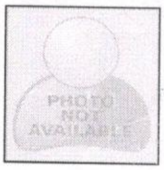
3	गवाह–प्रथम	कुमारी प्रिया आदित्य	पुत्री श्री विक्रम आदित्य	4/5 सराय खाम आजम नगर बरेली	नौकरी		
4	गवाह–द्वितीय	श्री नागेश्वर प्रसाद	पुत्र श्री यशोदानन्द	24/ए कीर्ती नगर बरेली	सेवानिवृत		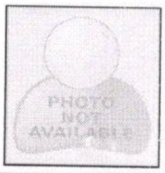

प्रिंट करें

12902

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार (**Public Facilities & Uses-I[st]**) विक्रय विलेख
2. बोर्ड परगना ....रामगंगा नगर आवासीय योजना बरेली।...
3. मोहल्ला/ग्राम .... रामगंगा नगर आवासीय योजना बरेली। ....
4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)...........................भूखण्ड सं0–1.....अम्बर खण्ड..... सेक्टर–3...................
5. मापन की इकाई (हैक्टेयर/वर्ग मीटर) .... वर्गमीटर...
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल ....1106.10 वर्गमीटर...
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) ....24.00 मीटर रोड...
8. सम्पत्ति का प्रकार– प्लाट/फ्लेट/मकान/दुकान/कृषि ....भूखण्ड..
9. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल (बहुमंजिला भवन की स्थिति में) ....
10. कुल आच्छादित क्षेत्रफल ....+...
11. स्थिति–फिनिश्ड/सेमीफिनीश्ड/अन्य ....
12. पेड़ों का मूल्यांकन ....
13. बोरिंग/कुँआ/अन्य ....
14. निर्मित क्षेत्रफल ....
15. निर्माण का वर्ष ....
16. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है। हॉ/नहीं बी0डी0ए0
17. प्रतिफल की धनराशि ....रू0–1,74,01,874.00..

चाहद्दी

पूरब :– व्यावसायिक भूखण्ड

उत्तरः– 24.00 मीटर रोड

पश्चिम :– 12.00 मीटर रोड

दक्षिण :– 9.00 मीटर रोड

प्रथम पक्ष की संख्या (.......01.............)

विक्रेता का विवरण

1. नाम .... अनुसचिव,.....................
   बरेली विकास प्राधिकरण,
   बरेली।

द्वितीय पक्ष की संख्या (..........02..........)

क्रेता का विवरण

नाम ..प्रो0(डा0)गिरिजा शंकर शुक्ल, कुलसचिव

पिता का नाम ...श्री राम नारायण शुक्ल.............

स्थायी पता ....उ0प्र0 राजर्षि टन्डन मुक्त.........
............विश्वविद्यालय, फाफामऊ, इलाहाबाद........

व्यवसाय ....नौकरी...

आधार सं0–............606604271848.......................

मोबाईल नं0–.........7525048001............................

संस्था PAN – AAAJU0413D

SHCIL BAREILLY

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP03823612822116P
Certificate Issued Date	:	09-Nov-2017 02:44 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ upshcil01/ BAREILLY/ UP-BLY
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHCIL0104579390426765P
Purchased by	:	REGIONAL CENTRE BLY UPRTOU BY AUTH SIG G S SHUKLA
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	PUBLIC FACILITIES AND USES 1ST PLOT NO.1 AREA 1106.10SQMT AT RAM GANGA NAGAR AMBER KHAND SEC-3 BLY
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	BAREILLY DEVELOPMENT AUTHORITY
Second Party	:	REGIONAL CENTRE BLY UPRTOU BY AUTH SIG G S SHUKLA
Stamp Duty Paid By	:	REGIONAL CENTRE BLY UPRTOU BY AUTH SIG G S SHUKLA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	12,18,000 (Twelve Lakh Eighteen Thousand only)

----------Please write or type below this line----------

अनुसचिव
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली

UP 0001847886

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DX 845279

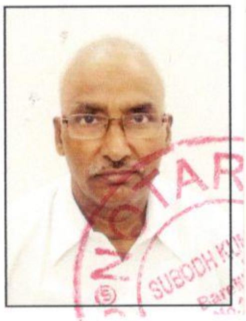

बरेली विकास प्राधिकरण की रामगंगानगर आवासीय योजना के अम्बर खण्ड, सेक्टर–3 में भूखण्ड सं0–1, क्षेत्रफल 1106.10 वर्गमीटर जिसका मूल्य रू0–1,74,01,874.00 है, का विक्रय कुलसचिव, उ0प्र0 राजर्षि टन्डन मुक्त विश्वविद्यालय, फाफामऊ, इलाहाबाद उ0प्र0 के पक्ष में किया गया है, तथा इस पर स्टाम्प शुल्क रू0–12,18,200.00 का भुगतान एक ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र सं0–IN-UP03823612822116P दिनॉक 09.11.2017 रू0–12,18,000.00 तथा 03 जनरल स्टाम्प पत्र रू0–200.00 द्वारा किया गया है।

अनुसचिव
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रू.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 731579

बरेली विकास प्राधिकरण की रामगंगानगर आवासीय योजना के अम्बर खण्ड, सेक्टर–3 में भूखण्ड सं0–1, क्षेत्रफल 1106.10 वर्गमीटर जिसका मूल्य रू0–1,74,01,874.00 है, का विक्रय कुलसचिव, उ0प्र0 राजर्षि टन्डन मुक्त विश्वविद्यालय, फाफामऊ, इलाहाबाद उ0प्र0 के पक्ष में किया गया है, तथा इस पर स्टाम्प शुल्क रू0–12,18,200.00 का भुगतान एक ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र सं0–IN-UP03823612822116P दिनॉक 09.11.2017 रू0–12,18,000.00 तथा 03 जनरल स्टाम्प पत्र रू0–200.00 द्वारा किया गया है।

अनुसचिव
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली।

कुलसचिव उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त वि० वि० इलाहाबाद

विक्रय पत्र

प्रतिफल- 17401874 स्टाम्प शुल्क- 1218200 बाजारी मूल्य - 17401874 पंजीकरण शुल्क - 20000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 20080

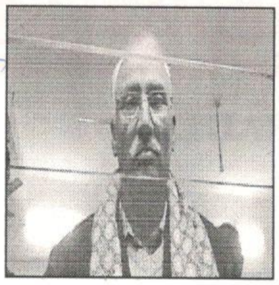

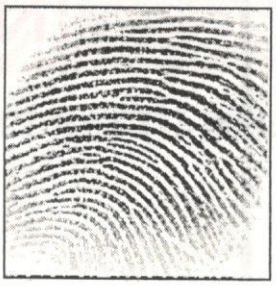

श्री, प्रो० डॉ० गिरिजा शंकर शुक्ल कुलसचिव
पुत्र श्री राम नारायण शुक्ल
व्यवसाय : नौकरी
निवासी: उ०प्र०राजर्षि टन्डन मुक्त विश्वविद्यालय फाफामऊ इलाहाबाद

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 19/12/2017 एवं 03:07:48 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ब्रिजेश कुमार
उप निबंधक :सदर प्रथम
बरेली

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 731580

बरेली विकास प्राधिकरण की रामगंगानगर आवासीय योजना के अम्बर खण्ड, सेक्टर–3 में भूखण्ड सं0–1, क्षेत्रफल 1106.10 वर्गमीटर जिसका मूल्य रू0–1,74,01,874.00 है, का विक्रय कुलसचिव, उ0प्र0 राजर्षि टन्डन मुक्त विश्वविद्यालय, फाफामऊ, इलाहाबाद उ0प्र0 के पक्ष में किया गया है, तथा इस पर स्टाम्प शुल्क रू0–12,18,200.00 का भुगतान एक ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र सं0–IN-UP03823612822116P दिनॉक 09.11.2017 रू0–12,18,000.00 तथा 03 जनरल स्टाम्प पत्र रू0–200.00 द्वारा किया गया है।

अनुसचिव
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली।

28449 कुलसचिव उ०प्र० राजर्षि मुक्त वि०वि० इलाहाबाद

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री अनुसचिव बरेली विकास प्राधिकरण के द्वारा देवेन्द्र सिह यादव, पुत्र श्री राममूर्ति सिंह यादव

निवासी: बी०डी०ए०बरेली

व्यवसाय: नौकरी

क्रेता: 1

श्री प्रो० डॉ० गिरिजा शंकर शुक्ल कुलसचिव, पुत्र श्री राम नारायण शुक्ल

निवासी: उ०प्र०राजर्षि टन्डन मुक्त विश्वविद्यालय फाफामऊ इलाहाबाद

व्यवसाय: नौकरी

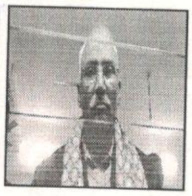

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

कुमारी प्रिया आदित्य, पुत्री श्री विक्रम आदित्य

निवासी: 4/5 सराय खाम आजम नगर बरेली

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2

श्री नागेश्वर प्रसाद, पुत्र श्री यशोदानन्द

निवासी: 24/ए कीर्ती नगर बरेली

व्यवसाय: सेवानिवृत

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

ब्रिजेश कुमार

उप निबंधक : सदर प्रथम

बरेली

बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली

रामगंगानगर आवासीय योजना के भूखण्डों का "विक्रय विलेख"

यह विक्रय विलेख दिनाँक ..19/12/17... को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत गठित विकास प्राधिकरण (द्वारा अपने उपाध्यक्ष) के प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से जिसे इस विलेख में आगे विक्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है .... प्रथम पक्ष

तथा

उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, शान्तिपुरम (सेक्टर–एफ) फाफामऊ, इलाहाबाद द्वारा कुल सचिव, प्रो0 (डा0) गिरिजा शंकर शुक्ल प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से जिसे, इस विलेख में आगे क्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है,..द्वितीय पक्ष

के मध्य निष्पादित किया जाता है। इस विलेख में शब्द "विक्रेता" में बरेली विकास प्राधिकरण, इसके उत्तराधिकारी, उपाध्यक्ष, सचिव एवं अन्य प्राधिकृत अधिकारी सर्वदा सम्मिलित होंगे, बशर्ते इसका अर्थ इस संदर्भ में विपरीत न हो एवं शब्द **"क्रेता"** द्वितीय पक्ष में स्वयं तथा उसके निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि तथा अनुज्ञा प्राप्त प्रतिमन्य सर्वदा सम्मिलित होंगे, बशर्ते इसका अर्थ इस संदर्भ में विपरीत न हो।

अतः प्रथम पक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण ने अपनी भूमि विकास एवं आवासीय योजना के अन्तर्गत क्षेत्र रामगंगा नगर आवासीय योजना, बरेली में स्थित भूमि का क्रय/अधिग्रहण तथा उसका विकास करके उस पर विभिन्न भूखण्ड निर्माण किये हैं तथा भूखण्डों की श्रेणी की परिभाषा उक्त योजना के नियमों में दी है तथा क्रेता के पंजीकरण संख्या–**229** के विरूद्ध नकद्/स्ववित्त पोषित पद्धति के अन्तर्गत दिनाँक 03.08.2017 को निविदा–सह–नीलामी करके भूखण्ड आवंटित किया गया है।

यह कि विलेख हेतु रामगंगा नगर आवासीय योजना अम्बर खण्ड, **सेक्टर–3** स्थित Public Facilities & uses-I[st] **भूखण्ड सं0–1,** जिसका **क्षेत्रफल 1106.10 वर्गमीटर** है तथा जिसका विवरण इस विलेख के अन्त में संलग्न मानचित्र में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है तथा लाल रेखांकित है, का मूल्य अंकित **रू0 1,55,37,387/– (रू0–एक करोड़ पचपन लाख सैंतीस हजार तीन सौ सतासी मात्र)** तथा 12% फ्री–होल्ड चार्ज **रू0 18,64,487/–(रू0–अठारह लाख चौसठ हजार चार सौ सतासी मात्र)** निर्धारित किया गया है तथा क्रेता द्वारा उपरोक्त निर्धारित सम्पूर्ण मूल्य की धनराशि का भुगतान करके प्राधिकरण कोष में जमा करा दिया गया है, जिसकी पावती विक्रेता एतदद्वारा स्वीकार करता है।

चूँकि शासनादेश सं०–1639/9–आ–1–95–80 मिस 86 आवास अनुभाग 1, दिनांक 10–5–95 द्वारा भूखण्ड को फ्रीहोल्ड रुप में हस्तांतरित करने के निर्देश दिये है।

अतः यह विलेख निम्न प्रकार से संदर्शित करता है :–

1. यह कि क्रेता से उपरोक्तानुसार भूमि का समस्त मूल्य के अतिरिक्त 12% फ्री–होल्ड चार्ज प्राप्त करने के पश्चात विक्रेता द्वारा Public Facilities & uses-I[st] भूखण्ड संख्या–**1,** जिसका **क्षेत्रफल 1106.10 वर्गमीटर** स्थित रामगंगा नगर आवासीय योजना अम्बर खण्ड, सेक्टर–3 जिसका विस्तृत विवरण इस विलेख के अन्त में दिया गया है, फ्रीहोल्ड के रुप में क्रेता के पक्ष में विक्रय करते हुए सदैव के लिए हस्तांतरित कर दिया गया है एवं पूर्ण स्वामित्वाधिकार इस विलेख के माध्यम से क्रेता में सन्निहित कर दिये गये है कि वह अनुसूची "अ" के अनुसार भूमि का उपयोग एवं उपभोग करें।

अनुसचिव
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली

2. यह कि विक्रेता द्वारा भूखण्ड का कब्जा क्रेता को यह विलेख निष्पादित एवं निबन्धित करा लेने पर दे दिया जायेगा।

3. यह कि प्रश्नगत भूखण्ड का पूर्ण स्वामित्व सन्निहित करते हुए विक्रय किया गया है।

4. यह कि प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से भूखण्ड की कीमत यह विलेख निष्पादित करने से पूर्व ही प्राप्त कर ली है। प्रथम पक्ष के स्वामित्व वाली भूमि जिस पर उक्त भूखण्ड निर्मित है, अधिग्रहीत भूमि है तथा भूमि अर्जन अधिनियम एवं अन्य सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त की गयी है। यदि भविष्य में अर्जित भूमि का प्रतिकर सक्षम न्यायालय द्वारा या उत्तर प्रदेश शासन अथवा कलैक्टर बरेली द्वारा बढ़ाया जाता है तो ऐसी दशा में प्रथम पक्ष वृद्धि की गयी धनराशि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन अधिनियम/अन्य सुसंगत अधिनियमों में उल्लखित प्राविधानों के अनुसार मांग पत्र जारी करने का अधिकार रखता है और द्वितीय पक्ष इस वृद्धि की गयी धनराशि को प्रथम पक्ष को भुगतान करने के लिए बाध्य होगा एवं मांग पत्र की धनराशि को द्वितीय पक्ष से सीधे भू राजस्व के रूप में वसूल कर लें, जिस पर द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी। द्वितीय पक्ष से ली जाने वाली अतिरिक्त धनराशि का पूरक विलेख प्रथम पक्ष द्वारा बाद में निष्पादित किया जायेगा।

5. यह कि क्रेता उक्त परिसर व उस पर निर्मित स्थल के पूर्ण या किसी भू-भाग या हिस्से को रामगंगा नगर आवासीय योजना के अनुमन्य उपयोग के अतिरिक्त सार्वजनिक रुप से धार्मिक स्थल एवं किसी ऐसे उपयोग में नही लायेगा जिससे किसी प्रकार की कोई अशान्ति उत्पन्न होती हो अथवा पास पड़ोस मे भूखण्ड धारकों को बाधा या क्षति पहुँचती हों। क्रेता बरेली महायोजना में निर्धारित भू-उपयोग से अन्यथा प्रयोग नही करेगा और न ही करने की अनुमति देगा, इसका उल्लंघन करने पर विधि अनुसार लगाये गये दण्ड का क्रेता भागी होगा।

6. यह कि क्रेता के द्वारा भूखण्ड सम्बंन्धित अधिकार अन्तरण किये जाने की दशा मे इस विलेख में अंकित समस्त नियम व उपनियम सदैव प्रथम अन्तरिती, द्वितीय अन्तरिती, एवं लगातार प्रत्येक अन्तरिती पर यथावत् लागू रहेगें तथा क्रेता द्वारा किये गये प्रन्सविदे को सभी मानने के लिए वाध्य होगे तथा प्रत्येक अन्तरण पर शासनादेश संख्या-728/9-आ-1-97 दिनाँक 06.02.1997 के अनुपालन में तत्समय प्रचलित सर्किल रेट का 1 प्रतिशत नामांकन शुल्क प्राधिकरण में देय होगा।

7. यह कि योजना के क्रियान्वयन/भूखण्डों का कब्जा देने के उपरान्त योजना नगर निगम को हस्तांतरित होने तक क्रेता को रख रखाव सम्बन्धी व्यय हेतु निर्धारित धनराशि का भुगतान प्राधिकरण को नियमित रुप से करना होगा।

8. यह कि भूखण्ड का कब्जा प्राधिकरण द्वारा हस्तान्तरित करने के उपरान्त तीन वर्ष के अन्दर क्रेता को भूउपयोग अनुसार मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत कराकर आर्किटैक्चरल कन्ट्रोल्ड ड्रांइग के अनुसार निर्माण पूरा कराना होगा। विशेष परिस्थितियों में उपाध्यक्ष की अनुमति से निर्माण पूरा करने की अवधि बढ़ाई जा सकती है, जिसमें उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा। तीन वर्ष की अवधि में अनुमन्य निर्माण पूर्ण कराकर क्रेता को पूर्णतः प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा। उक्त अवधि में निर्माण पूर्ण न करने की स्थिति में प्राधिकरण को नियमानुसार लेवी का भुगतान करना होगा अन्यथा भूखण्ड का निबन्धन निरस्तीकरण की कार्यवाही कर दी जायेगी जो क्रेता को मान्य होगी।

9. यह कि किसी भी समय उक्त भूखण्ड सम्बन्धी किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की सहमति से विवाद हेतु एक मध्यस्थ की नियुक्ति की जा सकेगी जो कि विवाद संदर्भित होने के पश्चात् दोनों पक्षकारों को सुनवाई करके अपना निर्णय देगा।

अनुसचिव
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली

10. यह तय किया जाता है कि क्रेता योजना के नियमों के अनुसार उक्त भूखण्ड को पाने के लिए पात्र है। यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि वह इस सम्पत्ति को पाने के लिए पात्र व्यक्ति नहीं था तो विक्रेता बैनामे को निरस्त करने का अधिकारी होगा और प्राधिकरण के नियमों व शर्तों के अनुसार भवन अधिग्रहण करने का अधिकार होगा।
11. यह कि इस विक्रय विलेख का मूल्यांकन मय 12 प्रतिशत फ्री–होल्ड चार्जेज अंकन रू० 1,74,01,874/– (रूपये एक करोड़ चौहत्तर लाख एक हजार आठ सौ चौहत्तर मात्र) पर स्टाम्प शुल्क नियमानुसार अंकन रू० 12,18,200/– (रू0 बारह लाख अठारह हजार दो सौ मात्र) क्रेता द्वारा शासनादेश सं0–कर एवं अनुबन्धन अनुभाग–7–440/11–2015–700(111)/2013 दिनॉक 30 मार्च 2015 के तहत स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गयी है। स्टाम्प पत्र क्रेता द्वारा जमा किया गया है और स्टाम्प शुल्क की जिम्मेदारी क्रेता की है।
12. यह कि क्रेता समय–समय पर बरेली विकास प्राधिकरण बोर्ड एवं शासनादेश द्वारा जारी किये गये नियमों, विनियमों एवं प्राविधानों का पालन करता रहेगा।

प्रमाण के रूप में इस विक्रय विलेख पर विक्रेता के लिए स्वयं अथवा उसकी तरफ से प्राधिकृत अधिकारी तथा क्रेता के लिए कुलपति, उ0प्र0 राजर्षि टन्डन मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत कुलसचिव प्रो0 (डा0) गिरिजा शंकर शुक्ल द्वारा अपने स्वयंचित्त होकर दिनाँक 19/12/17 को हस्ताक्षर किये तथा विक्रेता की सील भी साक्षियों की उपस्थिति में लगायी गई है।

ऊपर संदर्भित विक्रीत Public Facilities & Uses-Ist भूखण्ड सं0 1 का विवरण–

रामगंगा नगर आवासीय योजना अम्बर खण्ड सेक्टर–3 में आबंटित भूखण्ड सं0–1

क्षेत्रफल 1106.10 वर्गमीटर से सम्बन्धित।

कुल क्षेत्रफल – **1106.10 वर्ग मी0**

पूर्व भुजा – **30.00 मी0** – पश्चिमी भुजा – **30.00 मी0**

उत्तरी भुजा – **36.87 मी0** – दक्षिणी भुजा – **36.87 मी0**

भूखण्ड की सीमाए निम्न है :

पूरब :– व्यावसायिक भूखण्ड पश्चिम :– 12.00 मीटर रोड

उत्तरः– 24.00 मीटर रोड दक्षिण :– 9.00 मीटर रोड

अनुसचिव
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली

अनुसूची (अ)

1. यह कि विक्रय विलेख की शर्तें भूखण्ड के क्रेता तथा उस भूखण्ड पर निर्मित भवन के अध्यासियों पर लागू होगी और वह दोनों ही इनका पालन करने के उत्तरदायी होंगे।
2. यह कि क्रेता अपने भवन में कूड़ा एव बेकार चीजों को एकत्रित करने के लिए कूड़े दान रखेगा और हर व्यक्ति घर का कूड़ा कचरा तथा रसोई का कचरा उस कूड़ेदान में डालेगा।
3. यह कि कूडेदान का कूड़ा आदि रास्ते में बिना किसी जगह गिराये उस स्थान पर डाला जायेगा जो इसके लिए आरक्षित की गई हो।
4. यह कि कूड़ादान या कचरा रास्ते में नही रखा जायेगा।
5. यह कि रिक्त स्थान तथा भवनों के बीच सम्मिलित जगह का प्रयोग पेशावघर के रूप में नहीं किया जायेगा।
6. यह कि क्रय किये गये भवन/फ्लैटों/भूखण्डों/दुकानों व सम्मिलित जगह तथा गलियों में कूड़ा–करकट नहीं बिखेरा जायेगा तथा पूर्णतः साफ सुथरा रखा जायेगा।
7. यह कि भवन/फ्लैट/भूखण्ड के एवं कालोनी के किसी भाग का प्रयोग खतरनाक ज्वलनशील घृणित पदार्थों को जमा करने आदि हेतु नहीं किया जायेगा।
8. यह कि भवन के किसी भाग में जानवर या मुर्गीखाना बिना उचित प्रबन्ध किये नहीं रक्खे जायेगें।
9. यह कि कोई सम्पत्ति का दुरूपयोग नहीं करेगा और न ही किसी सम्मिलित रास्ते, सीढ़ी, जीने का जगह तथा जीने आदि का दुरूपयोग नहीं करेगा।
10. यह कि कोई व्यक्ति जो किसी सवारी गाड़ी को उक्त कालोनी में लायेगा वह इस बात का ध्यान रखेगा कि उससे रास्ते में किसी को असुविधा न हो तथा रास्ते में आना जाना अवरूद्ध न हो।
11. यह कि उपरोकत शर्तों को न मानना, इस अनुबन्ध का उल्लंघन माना जायेगा।

साक्षीगण :–

1. हस्ताक्षर –
   नाम – प्रिया आदित्य
   आयु – 31 वर्ष
   पिता/पति का नाम– श्री विक्रम आदित्य
   व्यवसाय – प्राइवेट नौकरी
   निवास – 4/5 सराय खान आजमनगर बरेली
   आधार नं0 – 527700056630

2. हस्ताक्षर
   नाम – नागेश्वर प्रसाद नागेश्वर
   आयु – 63 वर्ष
   पिता/पति का नाम– श्री यशोदानन्द
   व्यवसाय – रिटार्य
   निवास – 24/A कीर्ती नगर बरेली
   आधार नं0 – 762315972840

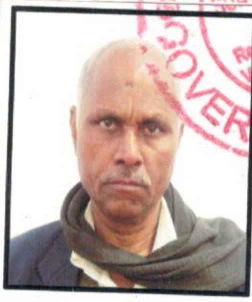

प्रमाणित किया जाता है यह असल की सत्य प्रतिलिपि है :

(विक्रेता) (क्रेता)

अनुसचिव
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली

62

विलेख सं०.................................... वर्ष..........................

सम्पत्ति का फोटो

शहरी क्षेत्र, बरेली

मकान नं०/प्लाट नं०...........1.......................क्षेत्रफल ....1106.10 वर्गमीटर...
सम्पत्ति स्थित...................... **अम्बर खण्ड सेक्टर–3 रामगंगा नगर आवासीय योजना बरेली।**..........................
विक्रेता .... **अनुसचिव, बरेली विकास प्राधिकरण बरेली।** ....
क्रेता .... कुल सचिव, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद..........................

ह० विक्रेता

अनुसचिव
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली

ह० क्रेता

BAREILLY DEVELOPMENT AUTHORITY

SITE PLAN SHOWING THE POSITION OF A PLOT PUBLIC FACILITIES & USES (FIRST) SECTOR - 03 SITE AT RAM GANGA NAGAR SCHEME BAREILLY.

ALLOTED TO SRI./SMT कुल सचिव, उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद
S/O ,W/O SRI
RESIDENCE OF.

PLOT SIZE = 36.87 X 30.00 SQ . MT.

PLOT AREA = 1106.10 SQ . MT.

SCALE = (N.T.S.)

NORTH

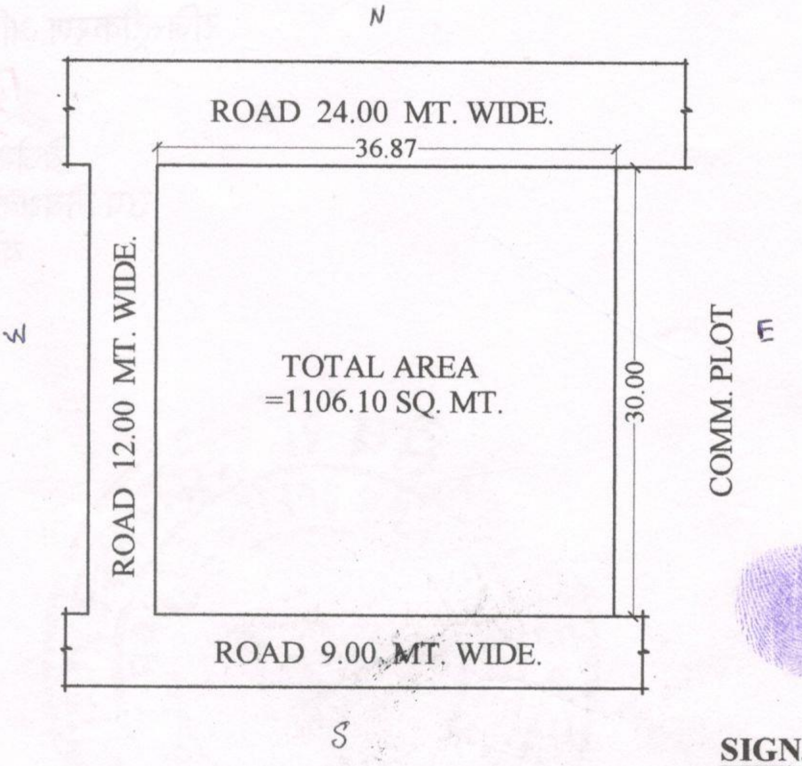

अनुसचिव
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली

SIGN. OF ALLOTEE

SET BACK AS PER BUILDING BYELAWS

16/09/17 DRAWN BY (अशोक जोशी) ड्राफ्ट्समैन

16.9.17 (J.E) (AS PER SITE)

16/9/17 (A.E)

16/9/17 (EX.EN)

Jt. SEC.

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 9135 के पृष्ठ 207 से 228 तक क्रमांक 10980 पर दिनाँक 19/12/2017 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ब्रिजेश कुमार
उप निबंधक : सदर प्रथम
बरेली

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार (Public Facilities & uses-Ist) विक्रय विलेख
2. बोर्ड परगना .... **रामगंगा नगर आवासीय योजना बरेली।**...
3. मोहल्ला / ग्राम .... **रामगंगा नगर आवासीय योजना बरेली।** ....
4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)....... भूखण्ड सं0–.......**1**................अम्बर खण्ड ....सेक्टर–..**3**...............
5. मापन की इकाई (हैक्टेयर / वर्ग मीटर) .... वर्गमीटर...
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल ....**1106.10 वर्गमीटर** ....
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) ....24.00 मीटर रोड ....
8. सम्पत्ति का प्रकार– प्लाट / फ्लेट / मकान / दुकान / कृषि ....**भूखण्ड** ....
9. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल (बहुमंजिला भवन की स्थिति में) ....
10. कुल आच्छादित क्षेत्रफल ....+...
11. स्थिति–फिनिश्ड / सेमीफिनीश्ड / अन्य ....
12. पेड़ों का मूल्यांकन ....
13. बोरिंग / कुँआ / अन्य ....
14. निर्मित क्षेत्रफल ....
15. निर्माण का वर्ष ....
16. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है। हॉ / नहीं बी0डी0ए0
17. प्रतिफल की धनराशि ....**रू0–1,74,01,874.00**...

चौहद्दी

उत्तर	– 12.00 मीटर रोड	दक्षिण	– व्यावसायिक भूखण्ड
पूर्व	– 24.00 मीटर रोड	पश्चिम	– 9.00 मीटर रोड

प्रथम पक्ष की संख्या (..........01...........)

विक्रेता का विवरण

नाम ....अनुसचिव,..................

बरेली विकास प्राधिकरण,

बरेली।

द्वितीय पक्ष की संख्या (............02.........)

क्रेता का विवरण

नाम ....प्रो0 (डा0) गिरिजा शंकर शुक्ल, कुलसचिव

पिता का नाम श्री राम नारायण शुक्ल

स्थायी पता उ॰ प्र॰ राजर्षि टन्डन मुक्त विश्व विद्यालय-फाफामऊ, इलाहाबाद,

व्यवसाय नौकरी

आधार सं0– 606604271848

मोबाईल नं0– 7525048001